कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा

पत्रांक: 154 /5–1 दिनांक, एटा, जुलाई 24 — ,2017

प्रबन्धक,
(रिटेल सेल्स),
इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि0,
एटा सेल्स एरिया,
एटा (उ0प्र0)

....

विषयः जनपद एटा में एटा–अलीगंज मार्ग (एमडीआर–98) **किमी0 चैनेज 23.978 की बायीं पटरी पर ग्राम सोंसा के गाटा सं0 680 स में आई0ओ0सी0एल0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.07291 हे0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 03 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः शासन का पत्रांक पी–20/14–2–2017–800(15)/2017 दिनांक 23.06.2017.

सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयांकित प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति सशर्त/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की गई है। इन शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभाग स्तर से मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित की जानी है।

अतः आप निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों की अनुपालन आख्या से सम्बन्धित अभिलेखों की 4 प्रतियों में इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

1. बिन्दु सं0 1 से 6.
2. बिन्दु सं0–7 के अनुपालन में प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.07291 हे0 की एन0पी0वी0 रू0 45698/– (पैंतालीस हजार छः सौ अठानवे मात्र) की धनराशि को e- Payment पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान ई–चालान के द्वारा जमा कराकर प्राप्त रसीद उपलब्ध करायें।
3. बिन्दु सं0 9 से 27 व 29.
4. बिन्दु सं0 28 के अनुपालन में वृक्षारोपण हेतु 100 पौधों का रोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण पौधों की सुरक्षा सहित रू0 168169/– (एक लाख अरसठ हजार एकसौ उनहत्तर मात्र) CAF की धनराशि को e- Payment पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान ई–चालान के द्वारा जमा कराकर प्राप्त रसीद उपलब्ध करायें।

(ए0के0कश्यप)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा।

पत्रांक: /उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्न अधिकारियों को सूचनार्थ व उचित कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

(ए0के0कश्यप)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा।